

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
ऊपरी यमुना मण्डल

कालिंदी भवन, बी-5, तारा क्रिसेंट रोड,
कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

पत्रांक संख्या: - 01/02/05/ऊ.य.म-2019/1847-51

दिनांक: 23/01/2019

कोटेशन आमंत्रण सूचना

23 MAR 2019

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार ऊपरी यमुना मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली रेलवे ब्रिज स्थल पर निस्सारण कार्य करने के लिए 22 फुट लंबी नाव एवं दो नाविकों की 2 महीने (1 अप्रैल 2019 से 31 मई 2019) एवं दो नाविक, एक ओ.वी इंजन ड्राइवर एवं ओ.बी इंजन की 1 महीना (1 जून 2019 से 30 जून 2019) सेवाएं प्रदान करने हेतु कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक प्रतिष्ठित फर्म संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपनी कोटेशन बंद लिफाफे में दिनांक 30.03.2019 को अपराह्न 12:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। कार्य की मात्रा की अनुसूची संलग्न विवरण के अनुसार।

नियम एवं शर्तें:

1. कार्य प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा।
2. यह कार्य दिल्ली रेलवेब्रिज स्थल पर किया जाएगा।
3. कोटेशन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में फर्म के लेटर पैड पर होनी चाहिए।
4. कोटेशन आमंत्रण सूचना नंबर एवं खोलने की तारीख लिफाफे के ऊपर लिखी होनी चाहिए।
5. दरों को शब्दों एवं संख्या दोनों में लिखा होना चाहिए।
6. दर के साथ कर तथा अन्य प्रभार आदि यदि कोई हो तो इसका विवरण अलग से दिया जाना चाहिए।
7. सभी कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग्स प्रतिष्ठान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।
8. कार्य पूरा होने पर इस कार्यालय में पूर्व प्राप्ति बिल (प्री-रिसिप्टेड बिल) दो प्रतियों में भेजना होगा। बिल में धनराशि अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाएगा।
9. शर्तों के साथ भेजे गए कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
10. सही से कार्य या नाव उपलब्ध नहीं होने पर 4000/- रूपए प्रतिदिन की पेनल्टी लगाई जाएगी।
11. कार्य करने का समय कार्य दिवस में 08:00 बजे से 12:00 बजे तक हो सकता है और यह लगातार तीन महीने (1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019) तक किया जाएगा।
12. कभी भी 10 दिन के नोटिस पर कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है।
13. उद्धरणकर्ता अपनी नाव एवं नाविकों इत्यादि के लिए किसी भी दुर्घटना में पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

14. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण कोटेशन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

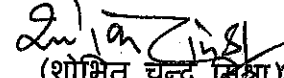
15. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाला कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

16. फ़ॉर्म GST पंजीकृत होनी चाहिए एवं GST संख्या कोटेशन में दर्शायी होनी चाहिए।

17. कोटेशन फॉर्म-1 एवं 2 को पूर्णतया: भरकर ही जमा करना होगा, संशयात्मक स्थिति एवं अधूरी सूचना की स्थिति में कोटेशन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट <https://www.cwc.gov.in> देखें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


(शोभित चन्द्र मिश्रा) 23.03.19

अधिशायी अभियंता

प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, वैशाली।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली।
3. सहायक अभियंता (साहिबी)।
4. अवर अभियंता दिल्ली रेलवे ब्रिज स्थल।
5. लेखानुभाग।
- ✓ 6. सूचना पट्ट।

फॉर्म संख्या:-1

कार्य का नाम: दिल्ली रेलवे ब्रिज स्थल, साहिब उप- मण्डल, ऊपरी यमुना मण्डल, केंद्रीय जल आयोग, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली में दो नविकों के साथ नाव/ ओ.बी इंजन सहित नाव, ओ.बी इंजन चालक की सेवाएं प्रदान करना।

1	Name of Company/ Firm / Agency (Attach certificate of registration):	
2	Name of proprietor / Director of Company / Firm / agency:	
3	Full Address of Reg. Office :	
4	Full address of Operating/ Branch Office :	
	Telephone No.	
	FAX No.	
	E-Mail Address :	
5	PAN No. (Attach attested copy)	
6	GST Registration No. (Attach attested copy)	

स्थान:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति का नाम:

एजेंसी/ फर्म की सील:

मात्रा की अनुसूची

कार्य का नाम: दिल्ली रेलवे ब्रिज स्थल, साहिब उप- मण्डल, ऊपरी यमुना मण्डल, केंद्रीय जल आयोग, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली में दो नाविकों के साथ नाव/ ओ.बी इंजन सहित नाव, ओ.बी इंजन चालक की सेवाएं प्रदान करना।

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	दर रुपये में		टिप्पणी
			अंकों में	शब्दों में	
1	दिल्ली रेलवे ब्रिज स्थल पर निस्सारण कार्य करने के लिए 22 फुट लंबी नाव की सेवाएं i) दो नाविकों सहित 2 महीने (1 अप्रैल 2019 से 31 मई 2019) ii) दो नाविक, एक ओ.बी. इंजन, ओ.बी इंजन ड्राइवर की 1 महीना के लिये (1 जून से 30 जून 2019) तक सेवाएं प्रदान करना।	एक काम एक काम			
	कुल				

*GST @ 18% or as applicable will be reimbursed by the department with 2% deduction.

(शोभित चन्द्र मिश्रा) 23.03.19

अधिशायी अभियंता
ऊपरी यमुना मण्डल